भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 4357
(दिनांक 26.03.2025 को उत्तर के लिए)

आईएएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी

4357. श्री आनंद भदौरियाः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग आईएएस और केंद्रीय सचिवालय की तीन सचिवालय सेवाओं के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार है;
(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सेवाओं में बिना किसी विज्ञापन और परीक्षा के सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकाधिकार से समूह 'क' और 'ख' के पदों पर स्थायी नियुक्ति की अनुमति दी जाती है;
(ग) यदि हां, तो इस संबंध में प्रासंगिक नियम क्या हैं; और
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त सेवाओं में समूह 'क' और 'ख' के पदों पर की गई ऐसी नियुक्तियों की सेवावार और वर्षवार संख्या कितनी है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ.जितेन्द्र सिंह)

(क): जी, हां। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारतीय प्रशासनिक सेवा और तीन केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है।
(ख): जी, नहीं।
(ग) एवं (घ): प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

******